कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-38/2017-18/

दिनांक : /10/2017

सेवा में,

जिला ग्राम्य वकास अ भकरण,

उधम संह नगर

वषय : जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, उधम संह नगर का वर्ष 09/2015 से 03/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 01 (क,ख,ग) प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 38/2017-18/ दिनांक: /10/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास उधम संह नगर, जनपद- उधम संह नगर, उत्तराखण्ड़ ।

2- मुख्य वकास अ धकारी उधम संह नगर, जनपद- उधम संह नगर, उत्तराखण्ड़ ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण आख्या **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण**, उधम संह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उधम संह नगर, जनपद उधम संह नगर की अवधि 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **सतेन्द्र कुमार**, स0ले0प0अ0, श्री **सुनील डंग, पर्यवेक्षक**, एवं श्री **राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक 02.08.2017 से 16.08.2017 तक श्री **एस.के.त्यागी**, व0ले0प0अ0 के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग–प्रथम

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, स0ले0प0अ0 एवं श्री वजय कुमार, पर्यवेक्षक व एसएचआर वनित कुमार राही, ले0प0 द्वारा आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षक में दिनांक 16.09.2015 से 26.09.2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से माह 08/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–**

(अ) संप्रेक्षा अवधि में कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पदनाम–

(i) श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

(ब) भौगोलिक क्षेत्र–

(स) जनसंख्या–

3. निर्वाचित सदस्यों की संख्या–

4. आयोजित बैठकों की संख्या–

5. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या–

6. कर्मचारियों की संख्या–

7. इकाई की सम्पत्तियां–

8. इकाई के अपने प्रोजेक्ट–05

9. योजनाओं की संख्या–

10. (अ) सामाजिक संरक्षा–

    (ब) रोजगार सृजन से सम्बंधित–

    (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनाएं–

    (द) लाभार्थियों की संख्या–

11. वर्ष के दौरान कर, रेटस डयूटी चंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि–

12. वर्ष के दौरान कुल व्यय– भाग –I, 2(ii)(अ) के अनुसार

    (अ) सामान्य–

    (स) योजनाओं पर(प्रत्येक योजना पर अलग–अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

13. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया–

2(ii)(अ)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (–)	आधिक्य (+)	बचत (–)
2014-15	0	438.245	38.87	38.87	736.246	0	0	0	0	208.526
2015-16	0	208.526	30.73	30.73	1444.338	0	0	0	0	448.344
2016-17	0	448.344	34.32	34.32	921.360	0	0	0	0	202.399

2(ii)(स)

केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण					
वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष
2014-15	बी.ए.डी.पी.	63.174	470.270	490.624	42.820
2015-16	बी.ए.डी.पी	42.820	532.96	556.62	19.160
2016-17	बी.ए.डी.पी	19.160	278.360	268.033	29.487
2014-15	सांसद नि ध	364.860	250.000	462.310	152.550
2015-16	सांसद नि ध	152.550	750.000	481.240	421.310
2016-17	सांसद नि ध	421.310	500.000	750.960	170.350

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2015 व 07/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। ---(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ....
(प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 20(1) लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1(क):- बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (बी.ए.डी.पी.) के अन्तर्गत धनरा श ` 2.27 लाख के दायित्वों व `414.87 लाख की 21 योजनाओं का लम्बित रहना।

बी.डी.पी.योजना का मुख्य उद्देश्य अन्तराष्ट्रीय सीमा के समीप धूरस्थ एवं अपहुँच बाले क्षेत्रों में निवास कर रहें लोगों की वशेष वकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, उधम संह्नगर के अ भलेखों की जांच में संज्ञान में आया की पूर्ति करना था।

जिला गराम्य वकास अ भकरण उधम सह्नंगर के अ भलेखों की जांच में संज्ञान में आया क वत्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत 40 योजनाओं में से धनरा श ` 414.87 लाख की 21 योजनायें धन अभाव के कारण धनरा श अवमुक्ति के एक वर्ष उपरान्त भी लम्बित थी जिनका ववरण निम्नवत थाः-

क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत धनरा श (` लाख में)	अवमुक्त धनरा श	अवमुक्त का माह/वर्ष	व्यय धनरा श (जुन 2017 तक)	योजना को पूर्ण करने की अव ध
1.	राजकीय इन्टर कालेज बग्धा चौवन में 2 प्रयोग शालना एवं एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण	22.00	17.71	फरवरी 2016	17.71	अगस्त 2016
2.	दो दुग्ध कक्ष निर्माण	9.00	7.24	फरवरी 2016	7.24	अगस्त 2016
3.	बग्गा चौवन में नाली व खडण्जा	10.00	8.05	फरवरी 2016	8.05	अगस्त 2016
4.	चादां में लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कार्य	15.00	12.07	फरवरी 2016	12.07	अगस्त 2016
5.	नगला तराई कजीबाग व झनकईया मुख्य बाजार में सार्वजनिक स्वच्छ शौचालय	12.00	9.66	फरवरी 2016	9.66	अगस्त 2016
6.	न वदिया से उ.प्र. की	15.00	12.07	फरवरी	12.07	अगस्त

	सीमा तक जल वकास नाला निर्माण फेग-1			2016		2016
7.	ग्राम नन्दना में खकरा नाले से भूटाव रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	9.93	7.99	फरवरी 2016	7.99	अगस्त 2016
8.	सतपुड़ा में 0.50 क.मी. सचांई गूल निर्माण	10.00	8.05	फरवरी 2016	8.05	अगस्त 2016
9.	कटीमा सीमावर्ती बोजोमें व भन्न स्थानों में 100 के.वी.ए. टांसपफार्मर एवं 11 केवीए एलटी लाईन निर्माण	40.00	33.59	फरवरी 2016	33.59	अगस्त 2016
10.	उ.प्र. मार्ग से सतपुड़ा तक मार्ग का निर्माण कार्य	34.34	27.65	फरवरी 2016	27.65	अगस्त 2016
11.	पाली हाउस निर्माण	14.00	11.27	फरवरी 2016	11.27	अगस्त 2016
12.	मौन पालन एवं फल संरक्षण प्र शक्षण एवं प्रसंस्करण वतरण	10.00	8.05	फरवरी 2016	8.05	अगस्त 2016
13.	बकरी पालन योजना-30 यूनिट रु. 0.70 लाख प्रति यूनिट	21.00	16.90	फरवरी 2016	16.90	अगस्त 2016
14.	दुग्ध हेतु महेन्द्रा पकअप क्रय	7.00	7.00	फरवरी 2016	7.00	अगस्त 2016
15.	डाटा प्रोसेट एवं मलक कलैक्सन यूनिट स्थापना कार्य	8.00	8.00	फरवरी 2016	8.00	अगस्त 2016
16.	औपुर वचवा एवं छिनकी ग्राम में पाईप लाईन बिछाने का कार्य (शेष भाग)	80.00	80.00	फरवरी 2016	80.00	अगस्त 2016

17.	सतपुडा बग्घा चौवन में पेयजल योजना निर्माण फेज-1	32.00	32.00	फरवरी 2016	32.00	अगस्त 2016
18.	नगला तराई में नलकूप छिद्रण कार्य एवं अन्य कार्य	18.00	18.00	फरवरी 2016	18.00	अगस्त 2016
19.	ग्राम कुटरी में पचौरिया ग्राम तक पाईप लाईन वस्तार कार्य	15.00	15.00	फरवरी 2016	15.00	अगस्त 2016
20.	मेलाघाट से वी.पी. न. 17 तक सी.सी. मार्ग	20.93	20.93	फरवरी 2016	20.93	अगस्त 2016
21.	मेलाघाट, देवीपुरा गढ़ीगौठ, नारायण नगर, लालकोठी, एवं ससैया में पांच-2 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना	5.45	5.45	फरवरी 2016	5.45	अगस्त 2016
	योग	414.87				

स्वीकृत 40 योजनाओं में से 14 योजनाओं हेतु पूर्ण स्वीकृत रा श कार्यदायी संस्थाओं को पूर्व में ही अवमुक्त कर दी गयी थी। जिन 26 योजनाओं की पूर्ण रा श अ भकरण द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी थी, उनमें से दो योजनाये सतपुडा बग्गा चौवन में 50 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य "ख. व.अ. कार्यालय खटीमा में 10 क.वाट का सोलर पावर प्लान्ट लगाना" जिनके लए कार्यदायी संस्था उरेडा को रु. 22.53 लाख (क्रमशः प्रयेक योजना हेतु रु. 8.85 लाख व रु. 13.68 लाख) की रा श अवमुक्त की गयी थी, रु. 24.80 लाख (क्रमशः प्रत्येक योजना पर रु. 10.75 लाख व रु. 14.05 लाख) की लागत से पूर्ण कर दी गयी थी, परिणाम स्वरुप अ भकरण पर रु. 2.27 लाख (रु. 24.80 लाख - 22.53 लाख) के दायित्व सम्प्रेक्षा ति थ (अगस्त 2017) तक लम्बित थे। उक्त के अतिरिक्त दो योजनायें धन अवमुक्ति के एक वर्ष से भी अ धक अव ध से द्दितीय कस्त प्राप्त न होने के कारण सम्प्रेक्षा ति थ तक अपूर्ण थी। जांच मे यह भी प्रकाश में आया क वर्ष 2015-16 में अवमुक्त प्रथम कस्त के उपभोग प्रमाण पत्र अ भकरण द्वारा जुलाई 2017 में प्रथम कस्त की अवमुक्ति के 1 ½ वर्ष उपरान्त अपर स चव, ग्राम्य वकास वभाग को प्रे षत कये गये थे, परिणाम स्वरुप वर्ष 2015-16 हेतु द्दितीय कस्त अवमुक्त नहीं

की गयी जब क वर्ष 2016-17 हेतु प्रथम कस्त की रा श सतम्बर 2016 में ही अवमुक्त कर दी गयी थी।

इस प्रकार वभागीय उदासीनता व समय से उपभोग प्रमाण पत्र प्रे षत न कये जाने के कारण वर्ष 2015-16 की 21 योजनाये धन अभाव के कारण लम्बित थी तथा योजना उद्देश्यों के वपरीत दूरस्थ एवं अपंहूच वाले क्षेत्रों के निवा सयों की वकासत्मक आवश्यकताओं की पूर्ति नही हो सकी।

इं गत कये जाने पर अ भकरण द्वारा अवगत कराया गया क द्दितीय कस्त प्राप्त न होने के कारण योजनाओं को पूर्ण नही कराया जा सका।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क अ भकरण द्वारा वर्ष 2015-16 की प्रथम कस्त का उपभोग प्रमाण पत्र धन अवमुक्ति के 1 ½ वर्ष उपरान्त प्रे षत कया गया था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1(ख):- सांसद नि ध के अन्तर्गत धनरा श रु. 39.00 लाख के कार्यो का अपूर्ण रहना।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र वकास योजना वर्ष 1993-94 में प्रारम्भ की गयी थी। योजना का उद्देशय संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी परिसम्प त्तयों के सृजन पर जोर देते हुए वकासात्मक प्रकृति के कार्यो की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र वकास योजना के दिशा-निर्देश जून 2016 के पैरा 3.13 के अनुसार कार्य समापन के लए समय सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अ धक नही होनी चाहिए। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन ऐजेन्सी के वरुद्द उ चत कार्य कार्यवाही की शर्त भी शा मल की जानी चाहिए।

जिला ग्राम्य वकास अ भकरण उधम संह नगर के अ भलेखों की जांच में प्रकाश में आया क स्वीकृत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के अधो ल खत कार्य जिनके लए प्रथम कस्त की रा श दिसम्बर 2016 तक अवमुक्त कर दी गयी थी तथा जिन्हें जून 2017 तक पूर्ण कर लया जाना चाहिए था, सम्प्रेक्षा ति थ (अगस्त 2017) तक अपूर्ण थे, कार्यो का ववरण निम्नवत हैः-

क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत धनरा श (` लाख में)	अवमुक्त धनरा श (` लाख में	अवमुक्ति का दिनांक माह/वर्ष	व्यय धनरा श (रु.लाख में)	कार्य को पूर्ण करने की ति थ
1.	राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा में सभा कक्ष निर्माण	10.00	6.00	9/15	6.00	3/2016
2.	गढ़ी नेगी जसपुर में सामुदायिक भवन निर्माण	5.00	3.75	10/2016	2.85	4/2017
3.	ग्राम बास खेड़ी काशीपुर में सामुदायिक भवन निर्माण	3.00	2.25	10/2016	0.75	4/2017
4.	जगतपुर सेमलपुरी काशीपुर में जनजाति बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण	2.00	2.00	12/2016	0.85	6/2017
5.	मार्डन मानटेसरी	2.50	1.50	7/2016	1.50	1/2017

	जूनियर हाईस्कूल जवाहरनगर नगला में कम्प्यूर फर्नीचर क्रय					
6.	राजकीय इंटर कॉलेज वरहैनी तहसील बाजपुर में क्रीडा स्थल निर्माण	2.00	2.00	12/2016	1.60	6/2017
7.	ग्राम बखाला केलाखेड़ा में श्री चन्द्रपाल श्री भजन संह, कश्मीर संह के घरों के आगे सार्वजनिक हैण्ड पम्प	2.50	1.87	12/2016	1.26	6/2017
8.	ग्राम बखाला केलाखेड़ा में शव मंदिर से महेश पोल्ट्री फार्म की ओर सी.सी. मार्ग	2.50	1.88	12/2016	0.80	6/2017
9.	अमर ज्योति मन्दिर वधामन्दिर नेताती नगर दिनशपुर में कक्ष निर्माण	3.00	2.25	12/2016	2.25	6/2017
10.	शान्तिपुरी वार्ड नं. 3 में मुख्य मार्ग से शव मंदिर तक सी.सी, मार्ग निर्माण	2.00	2.00	12/2016	0.60	6/2017
11.	शान्ति पुरी गेट के समीप सामुदायिक स्थल निर्माण	1.50	1.50	12/2016	1.50	6/2017
12.	ढ़कानी शान्तिपुरी न. 02 में अनुसू चत बस्ती में सामुदायिक कक्ष निर्माण	3.00	2.25	12/2016	1.70	6/2017
	योग	39.00			21.66	

उपरोक्त योजनायें निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की गयी थी, न ही समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न कये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं के साथ कोई शर्त ही शा मल की गयी थी।

इं गत कये जाने पर अ भकरण द्वारा अवगत कराया गया क कार्यदायी संस्थाओं को कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु बार-बार लखा जा रहा हैं।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क कार्यों को समय पर पूर्ण कराया जाना अ भकरण का उत्तर दायित्व था।

अतः धनरा श रु. 39.00 लाख के कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1(ग):- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 890 आवास निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु प्रया न कया जाना।

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आवासहीन 2016 लाभा र्थयों को आवास निर्माण हेतु चयनित कया गया था समस्त लाभा र्थयो को प्रथम कश्त के रुप में रु. 42000/- का अनुदान दिया जा चुका था एवं द्दितीय/अन्तिम कश्त रु. 28000/- आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर देने का प्रावधान था।

वभाग के लेखा-अ भलेखों की जांच करने पर पाया गया क डेढ वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी 890 लाभा र्थयों द्वारा अपने आवास-निर्माण कार्यो को पूर्ण नहीं कया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा लये जायेगें। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इतने लम्बे अन्तराल के उपरान्त भी 890 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाना इससे वभाग की सुस्त कार्यशैली उजागर होती है। अतः प्रस्तर उच्चाधाकारियो के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य(यदि काई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाये)

----------सामान्य----------

भाग–V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ऊधम संह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये–

2. **सतत अनियमितताएं–** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया–**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री हिमांशु जोशी	परियोजना निदेशक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

स्थानीय निकाय